न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस

अपील संख्या 220/2015

महेन्द्र कौर पत्नी इन्द्रजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 बी.जी.एम.(ढाणी) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. माना देवी पत्नी गणपतराम जाति जाट निवासी कीकरावाली जोहडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (मृतक)

गणेशाराम दत्तक पुत्र माना देवी (मृतक) विधिक उत्तराधिकारी वारिसान

1/1 कमला देवी पत्नी गणेशाराम		
1/2 शेषकरण	पिसरान गणेशाराम	जाति जाट निवासी कीकरावाली जोहडी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
1/3 राजाराम		
1/4 देवीलाल		
1/5 रायसिंह		

2. गौरा पत्नी रेवन्तराम(मृतक) उत्तराधिकारी वारिसानः—

2/1 सरस्वती	पुत्रीया रेवन्तराम जाति जाट साकिन हाल 5 एम.एन.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2/2 सावित्री	

2/3 आदूराम पुत्र रेवन्तराम(मृतक) उत्तराधिकारी वारिसानः—

2/3/1 विमला पत्नी आदूराम		
2/3/2 गणेश कुमार	पि. आदूराम	जाति जाट निवासी कीकरावाली जोहडी तह. श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2/3/3 जगदीश		
2/3/4 कृष्णा		

3. राजस्थान सरकार।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर दिनांक 07.08.15 व 14.08.15

उपस्थिति :—

श्री हेतराम बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री जोगेन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 3

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

निर्णय दिनांकः 16/1/19

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण गणेशाराम, गौरा देवी , विमला देवी ने जरिये राकेश एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 3 बी.जी.एम. के प.नं. 130/375 व 131/375 की 1.594है. भूमि मीडियम पेच में आवंटन है जिसकी एक किश्त जमा करवा दी है, शेष किश्तें जमा करवाना चाहता है। अतः शेष किश्तें जमा करवाकर पट्टा जारी किया जावे। प्रा.पत्र पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 07.08.2015 को पत्रावली कायम कर मूल पत्रावली तलब करने के आदेश दिये। इसी दिनांक को मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शेष राशि जमा कराने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात दिनांक 14.08.2015 को तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्र दिनांक 11.08.2015 की पालना में पत्रावली पेशी में ली गई। इस दिनांक को विवादित भूमि की राशि डी. एल.सी. की दर से जमा करवाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश दिनांक 07.08.2015 एवं 14.08.2015 के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते कथन किया कि चक 3 बी.जी.एम. के मु.नं. 131/175 के कि.नं. 1, 2, 8 से 14, 16 से 22 की 3.125है. भूमि जरिये बैयनामा अपीलांट की खरीदशुदा है। मीडियम पेच की भूमि अपीलांट की भूमि के एक मुरब्बा में तथा दूसरे मुरब्बा में चिपती है जिसका कब्जा अपीलांट का है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को न तो पक्षकार बनाया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। अधी. न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी, जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प गंगासिंहनगर

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. को मिडियम पेच में आवंटन हुई थी जिसकी एक किश्त जमा करवा दी थी। रेस्पों. द्वारा प्रा.पत्र पेश करने पर अधी. न्यायालय ने डी.एल.सी. की दर से राशि जमा कराने के आदेश दिये हैं एवं आवंटन आदेश जारी करने का जो आदेश दिया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा नहीं करने से प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 07.08.2015 व 14.08.2015 के विरूद्ध दिनांक 09.10.2015 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधि. की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट का कथन है कि उसके द्वारा विवादित भूमि के चिपते हुए 3.125है. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 24.11.2006 को खरीद कर ली इसलिए रेस्पों. मिडियम पेच की भूमि आवंटन करवाने के अधिकारी नहीं थे। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया एवं अपीलांट द्वारा भूमि जरिये बैयनामा क्रय की हुई है जिसका खण्डन रेस्पों. द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.08.2015 एवं 14.08.2015 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधी. न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारों को सुनकर विधिवत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/1/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर